न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1370/2026

CNR No. UPGD01003909-2026

करीम, पुत्र रईश, निवासी ग्राम उज्जैनी कला, थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

..... अभियोजन।

दिनांक–16.06.2026

1. यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त **करीम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–145/2026, अन्तर्गत धारा–137(2), 87 भा0न्या0सं0, थाना–इटियाथोक, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जिला कारागार गोण्डा में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

3. वादी मुकदमा सक्के द्वारा थाना इटियाथोक, जिला गोण्डा में दिनांक 09.05.2026 को समय 19:54 बजे पंजीकृत करायी गई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि दिनांक 07.05.2026 की रात को विपक्षी करीम, उसकी लड़की उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर कही भगा लेग गया है। उसकी लड़की को भगवाने में विपक्षी रहीम का पूरा सहयोग है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। उसे जान बूझकर मिथ्या एवं असत्य तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। वह शहर में रहकर मजदूरी करता है तथा बकरीद का त्योहार मनाने के लिए अपने घर पर आया था। वह दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देर से दर्ज करायी गयी है। लड़की के बरामद होने पर उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। जमानत के बाद वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा और विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही किसी मामले में वांछित अभियुक्त है। उपरोक्त समस्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को उसके विधिक संरक्षकत्व से विवाह के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के आशय से बहका फुसलाकर व्यपहरण करने का आरोप है। मेड़िकल परीक्षण के दौरान पीड़िता द्वारा डॉक्टर के समक्ष अपनी मर्जी से कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने का कथन किया गया है, एवं कथित घटना दिनांक को पीड़िता नाबालिग थी, जिस कारण उसकी सहमति महत्वहीन हो जाती है। अतः अपराध की गंभीरता एवं अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

6. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय

अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री/पीड़िता को उसके विधिक संरक्षकत्व से विवाह के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के आशय से बहका फुसलाकर व्यपहरण करने का अभियोग लगाया गया है।

8. वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया गया है कि वह कक्षा 8 तक पढ़ी है। वह करीम को बचपन से जानती है, वह उसकी खाला की जेठ का लड़का है। वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वह शादी करना चाहती थी। इस बात के लिए उन लोगों के घरवाले नहीं राजी थे, इसलिए उसने करीम से भाग चलने को बोला। दिनांक 07.05.2026 को वह अपने घर से निकल गई, करीम को बस अड्डे पर बुलाया। वह लोग बस से लखनऊ चले गए। दिनांक 15.05.2026 तक वे लखनऊ रहे। उनके बीच शारीरिक सम्बन्ध नहीं बने है, उन्होंने शादी नहीं की है। वहां पर वह लोग बस घूमे फिरे, दिनांक 15.05.2026 को वे घर वापस आ रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया। उसे अपने घर जाना है।

9. समान आशय का कथन पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में भी किया गया है।

10. इस प्रकार पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 व 180 बी0एन0एस0एस0 में आवेदक/अभियुक्त करीम द्वारा उसे विवाह के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के आशय से बहका फुसलाकर व्यपहरण करने का कोई कथन नहीं किया गया है। पीड़िता द्वारा अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त से शादी करने अथवा उनके मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने से इंकार किया गया है। सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

11. अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परस्थितियों के आधार पर अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त करीम का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **करीम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–145/2026, अन्तर्गत धारा–137(2), 87 भा0न्या0सं0, थाना–इटियाथोक, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1370/2026 **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–16.06.2026

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863